122/6/9/12

खण्ड– 5 संख्या– 9,10

नवम्

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

भाग –1

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक 02 सितम्बर, 1986 ई०

बुधवार, दिनांक 03 सितम्बर, 1986 ई०

प्रो0 सिद्धेश्वर प्रसाद : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है । परन्तु ग्राम्य अभियंता संगठन विभाग का स्वीकृत पथ नहीं है । यह एक ग्रामीण कच्चा पथ है ।

2. अर्थाभाव के कारण उक्त पथ का पक्कीकरण की स्वीकृति देकर तत्काल निर्माण करना सम्भव नहीं है । यह पथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के सभी शर्तों को पूरा करता है । अतः अगले वर्षों में इसके निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

आरक्षण की व्यवस्था :

893. **श्री टेक लाल महतो :** क्या मंत्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय के सहायक संवर्ग में प्रवर कोटि तथा प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर दी गयी प्रोन्नति में हरिजनों/आदिवासियों को आरक्षण कोटा नहीं दिया गया है;

2. क्या यह बात सही है कि श्री जालेजस बाड़ा तथा श्री सुखदेव चौधरी दोनों आरक्षित उम्मीदवारों को दिनांक 19-9-83 से प्रवर कोटि के पद पर प्रोन्नति दी गयी है, जब कि उनकी प्रोन्नति 1. 4.81 से ही देय है,

3. क्या यह बात सही है कि निगम में गठित स्थापना समिति द्वारा जाँचोपरान्त इन्हें 1.4.81 से ही प्रवर कोटी का लाभ देने की अनुशंसा की जा चुकी है पर यह मामला अभी तक लम्बित है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार इस दिशा में

कबतक कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिहर महतो : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि आरक्षण कोटा के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जन जाति का पद अनुमान्य है । इसके विरुद्ध अनुसूचित जाति के सदस्य को प्रोन्नति दी गयी है और अनुसूचित जन जाति को प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जा रही है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि निगम के स्थापना समिति ने दोनों आरक्षित उम्मीदवारों को प्रवर कोटि में दिनांक 1.4.81 से ही प्रोन्नति देने की अनुशंसा की है । इस पर अन्तिम निर्णय लेने की कार्रवाई हो रही है।

श्री राय का स्थानान्तरण :

894. श्री नर्मदेश्वर प्रसाद कुशवाहा : क्या मंत्री ग्रामीण विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह बात सही है कि श्री कैलाश राय कार्यपालक अभियंता ग्राम अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल नवादा में चार वर्षों से पदस्थापित है, यदि हाँ, तों क्या सरकार नियमानुसार इनका स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री कैलाश राय, कार्यपालक अभियंता ग्राम्य